



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127628

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19334/2026

प्रिंस शाही

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आदित्य प्रकाश सिंह, संजय सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. हमने आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.सी. श्रीवास्तव के सहायक श्री आदित्य प्रकाश सिंह और विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।

2. यह जमानत याचिका गोरखपुर जिले के कैंट थाना में धारा 108 बीएनएस के तहत मामला अपराध संख्या - 151/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक और मृतक के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। मृतक पिछले दस वर्षों से आवेदक से प्रेम करता था और मंदिर में उनका विवाह संपन्न हुआ था। मृतक के परिवार ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और इसी कारण मृतक ने 26.3.2026 को विष खाकर आत्महत्या कर ली। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मृतक ने आवेदक के उकसावे या सहायता से विष खाया हो। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि मृतक ने अपने मायके में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल, मृतक ने शिकायतकर्ता द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अत्याचार के कारण आत्महत्या की, क्योंकि शिकायतकर्ता आवेदक और मृतक के विवाह के खिलाफ था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक 5.3.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, उपस्थित साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध किया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक-प्रिंस शाही को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.द.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा। कानून के अनुसार, धारा 174-ए भा.द.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित हैं। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो निचली अदालत इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।